न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 50 / 2023 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023 / 323**
दायर दिनांक :– 29.03.2023 **निर्णय दिनांक :– 13.01.2025**

1. सन्तोष कंवर पुत्री गुमानसिंह पत्नी महेन्द्रसिंह राजपूत निवासी करड़ तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर (राज.)
2. कौशल्याकंवर पुत्री गुमानसिंह पत्नी विजेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी साई तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर

–प्रार्थीगण

बनाम

1. गुमानसिंह पुत्र रायसिंह जाति राजपूत नि. धोलिया हाल नि. राजीव कॉलोनी फलोदी (विलोपित)
2. देवीसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपूत निवासी धोलिया तहसील बाप जिला फलोदी
3. विशनसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपूत निवासी धोलिया तहसील बाप जिला फलोदी
4. परमवीरसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपूत निवासी धोलिया तहसील बाप जिला फलोदी
5. सुप्यारकंवर पुत्री गुमानसिंह जाति राजपूत निवासी साई तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर
6. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा बाप तहसील बाप जिला फलोदी
7. शाखा प्रबन्धक इण्डियन बैंक (इलाहाबाद बैंक) बारू सिहड़ा तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री सुभाष विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता अप्रार्थी
3. श्री विशनसिंह भाटी अधिवक्ता अप्रार्थी

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने एक नियमित राजस्व वाद घोषणा एवं जारी करवाने स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में अप्रार्थीगण के विरूद्व पेश किया है प्रार्थीगण का वाद अभिवचन एवं दस्तावेजात के अधार पर प्रथम दृष्टयां साबित है एवं प्रार्थीगण को वाद में सफलता मिलने की शत प्रतिशत उम्मीद है। सरहद मौजा सुमराणी मंगलियों की बस्ती पटवार हल्का देदासरी तहसील बाप के खेत खसरा नम्बर 193 रकबा 11.0884 हैक्टेयर की स्थित है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की पीढियों से कदीमी पैतृक भूमि है और प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हक हकूक प्राप्त है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का सहदायी सदस्य है। वादग्रस्त भूमि वक्त भू प्रबन्धक सम्वत 2015 में जुगतसिंह, गुमानसिंह पिसरान रायसिंह कौम राजपूत भाटी साकिन देह जागीरदार खुदकाश्त

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

खातेदार खसरा नम्बर 193 रकबा 68–10 बीघा दर्ज अभिलेख की गयी। प्रार्थीगण को हिन्दू मिताक्षरा विधि के अनुसार वादगस्त भूमि में जन्म से हक पैदा हो जाने से प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि में 2/7 हिस्सा खातेदार काश्तकार काबिज होने की घोषणा करवाने के जायज हकदार है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 गलत राजस्व अभिलेख की आड़ में प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा हो गये है, अगर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 अपने नापाक मंसूबों में सफल हो जाता है तो प्रार्थीगण के जायज खातेदारी हकूको पर कुठाराघात होगा और प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्याकंन रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा। प्रार्थीगण दावेदार है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के विरूद्व अस्थयी निषेधाज्ञा जारी करवाने का हकदार है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि विवादग्रस्त खसरान् की भूमि में प्रार्थीगण का हक हिस्सा बनता है या नहीं इसका निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही तय किया जा सकता है। अतः पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात के आधार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

13/01/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)